फा॰ सं॰ 4(1)-ई॰-III(ए)/74

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 1974.

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- सशस्त्र-सेना से दयापूर्वक मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों की लिपिक/निम्न श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति होने पर, उनके वेतन का नियतन।

--

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय के व्यय-विभाग के दिनांक 11 अप्रैल 1963 के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं॰ फा॰ 6(8)-ई॰-III(ए)/63 का हवाला देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि उस कार्यालय ज्ञापन में सशस्त्र सेना के जो संयोधी लिपिक अपनी स्वयं की प्रार्थना पर, अथवा दया के आधार पर अथवा स्वास्थ्य के आधार पर सशस्त्र-सेना से दयापूर्वक मुक्त किये गये हों उनको भी उल्लिखित लाभ मिल सकेंगे।

2. इन आदेशों का भूतपैक्षी प्रभाव होगा और पिछले जिन मामलों में उपर्युक्त से अन्यथा निर्णय किया गया हो, उन पर फिर से विचार किया जाय तथा वेतन का फिर से नियतन किया जाय।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये जाते हैं।

(बी॰ एस॰ निम)
अवर सचिव भारत सरकार.

सेवा में,
भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों को।
प्रतिलिपि प्रेषित अंग्रेजी पाठ में दी गयी सूची के अनुसार।